

न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला - अजमेर

प्रकरण संख्या 240/2019

स्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का

झाक प्रथम

बनाम

हाकम

पुत्र

मोरा

जाति

मेराठ

निवासी

रावला बाडिया

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट

-निर्णय-

दिनांक 29-8-2019

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा सम्वत 2076 ग्राम **रावला बाडिया** की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर **974, 1088** कुल रकबा **घ. 3.90** किस्म भूमि **दोरी** मे से रकबा **घ. 1.11** बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री **हाकम** पुत्र **मोरा** जाति **मेराठ** निवासी **रावला बाडिया** द्वारा नाजायज **कौरो की बाड** कर लिए जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो के तहत नोटिस दिनांक **29-8-2019** को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत् जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिकर्मी उक्त भूमि पर काबिज है।

अतः श्री **हाकम** पुत्र **मोरा** जाति **मेराठ**

निवासी **रावला बाडिया** को सिवायचक भूमि ग्राम **रावला बाडिया** के खसरा नम्बर **974, 1088** कुल रकबा **घ. 3.90** किस्म भूमि **दोरी** मे से रकबा **घ. 1.11** भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि मे से बेदखल किए जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान **0.66** को पचास गुणा **30/-** रुपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खडी फसल/ अन्य को जब्ज कर सरकार निलाम किया जावे आदेश की पालना भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नियर्ण आज दिनांक **29/8/2019** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलारा सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया

वर्ष **2019-20** के रा.ले. 4 रजिस्टर के पृष्ठ सं. पर रु. **30** की मांग कायज की गई।

त. न. ल. विमलचन्द्र

(प्रमाणित पाठी)  
तहसीलदार मसूदा  
जिला - अजमेर